



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.पी.-अ.-07072026-274213  
CG-MP-E-07072026-274213

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3497]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 6, 2026/आषाढ 15, 1948

No. 3497]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 6, 2026/ASHADHA 15, 1948

रेल मंत्रालय

[पश्चिम मध्य रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

जबलपुर, 3 जुलाई, 2026

**का.आ. 3658(अ).—** केंद्रीय सरकार रेल अधिनियम, 1989 (रेल संशोधित अधिनियम 2008) की धारा 20 क की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि लोक प्रयोजन के लिए यह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के चित्रकूट जिला में विशेष रेल परियोजना "जबलपुर – मानिकपुर खण्ड: टिकरिया – मारकुंडी स्टेशनों के मध्य कि.मी. 1235/8-9 पर, समपार फाटक संख्या – 400 के स्थान पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य" के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन एवं संचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20 (घ) की उप धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आदेश सक्षम अधिकारी अर्थात्, सक्षम प्राधिकारी एवं उप जिलाधिकारी मानिकपुर, जनपद-चित्रकूट (उ0प्र0) को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम अधिकारी अपेक्षाकर्ता को व्यक्तिगत में या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जाँच यदि कोई हो, जिसे सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे, करने के पश्चात आदेश, द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20 (घ) की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं, और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम अधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकेगा।

### अनुसूची

भारतीय रेलवे की विशेष रेल परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य के "जबलपुर – मानिकपुर खण्ड: टिकरिया – मारकुंडी स्टेशनों के मध्य कि.मी. 1235/8-9 पर, समपार फाटक संख्या- 400 के स्थान पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य" के लिये अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण-

क्रम संख्या	जिले का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	चित्रकूट	मानिकपुर	टिकरिया जमुनिहाई	602	निजी / शासकीय	असिंचित	0.180
				603	निजी	असिंचित	0.320
				604	निजी / शासकीय	असिंचित	0.120
				605	निजी	असिंचित	0.040
				606	निजी	असिंचित	0.900
				682	शासकीय	असिंचित	0.190
				600	निजी / कुंजी रेलवे भूमि (शासकीय)	असिंचित	0.020
				569	निजी / कुंजी रेलवे भूमि (शासकीय)	असिंचित	0.130
				568	निजी / शासकीय	असिंचित	0.100
				584	निजी	असिंचित	0.220
				583	शासकीय	रास्ता	0.110
				589	निजी	असिंचित	0.170
				580	निजी	असिंचित	0.210
				573	निजी / शासकीय	असिंचित	0.040
				579	निजी	सिंचित	0.230
				575	निजी	असिंचित	0.200
570	निजी	असिंचित	0.410				
563	निजी / कुंजी (शासकीय)	असिंचित	0.080				
564	शासकीय	असिंचित	0.030				
<b>कुल योग</b>							<b>3.700</b>

[फा. सं. WCR-JBPCOENGC(MICS)/55/2025-O/oDyCE/C-II/STA/400]

जोन सिंह मीना, मुख्य अभियंता/नि-IV

**MINISTRY OF RAILWAYS****[West Central Railway (Construction Organization)]****NOTIFICATION**

Jabalpur, the 3rd July, 2026

**S.O. 3658(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20(A) of the Railways Act, 1989 (as Amendment Act 2008), the Central Government, After being satisfied that the land, brief description of which is given in the Schedule below, is required for public purpose for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project “**Jabalpur - Manikpur section: Construction of Road Over Bridge in lieu of Level Crossing No. 400 at Km 1235/8-9 between Tikariya - Markundi stations of West Central Railway**” in the District Chitrakoot in the state of Uttar Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of 30 days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20 (D) of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Officer i.e. **Competent Authority and Sub-Divisional Officer (Revenue), Manikpur, Janpad - Chitrakoot (U.P.)** in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as the Competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 20 (D) of the said Act shall be final.

The land plan and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

**SCHEDULE**

Brief Description of the land to be acquired **Jabalpur - Manikpur section: Construction of Road Over Bridge in lieu of Level Crossing No. 400 at Km 1235/8-9 between Tikariya - Markundi stations of West Central Railway**” in the District Chitrakoot in the state of Uttar Pradesh.

Sl. No	Name of the District	Name of the Tehsil	Name of the Village	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Chitrakoot	Manikpur	Tikariya Jamunihai	602	Govt/Private	Unirrigated	0.180
				603	Private	Unirrigated	0.320
				604	Private/ Govt	Unirrigated	0.120
				605	Private	Unirrigated	0.040
				606	Private	Unirrigated	0.900
				682	Govt	Unirrigated	0.190
				600	Private/ Rail (Govt)	Unirrigated	0.020
				569	Private/ Rail (Govt)	Unirrigated	0.130
				568	Private/Govt	Unirrigated	0.100
				584	Private	Unirrigated	0.220
				583	Govt	Road	0.110
				589	Private	Unirrigated	0.170
				580	Private	Unirrigated	0.210
				573	Private/Govt	Unirrigated	0.040
579	Private	Irrigated	0.230				
575	Private	Unirrigated	0.200				

				570	Private	Unirrigated	0.410
				563	Private/Govt	Unirrigated	0.080
				564	Govt	Unirrigated	0.030
				<b>TOTAL</b>			<b>3.700</b>

[F. No. WCR-JBPC0ENGC(MICS)/55/2025-O/oDyCE/C-II/STA/400]

JON SINGH MEENA, Chief Engineer/Construction-IV